



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : रु.वि. / कु.स.का. / 2025 / 217

दिनांक : 18.06.2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में एतद्वारा समस्त अध्ययनरत छात्रों को सूचित किया जाता है कि सरकारी आदेशों एवं मौजूदा कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ मौजूदा कानूनों के अनुसार सख्ती से निपटा जायेगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, यदि रैगिंग की कोई घटना प्राधिकरण के संज्ञान में आती है, तो सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता दी जायेगी, और यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय से निष्कासित करने में संकोच नहीं करेगा।

अतः कृपया उक्त से अवगत होना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. मुख्य नियंता/नियंता, समस्त छात्रावास।
3. निजी सचिव कुलपति को मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. वै.सहा. कुलसचिव।
5. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट/व्हाट्सऐप ग्रुप।

कुलसचिव